

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-04/STA-(विविध)-11/2019

पटना, दिनांक-

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

विषय :- इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर स्वीकृत परमिटों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नये क्रय किये गये वाहन का इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर परमिट प्राधिकार की बैठक में स्वीकृत किये जाते हैं। अतः अनुरोध है कि आपके प्राधिकार द्वारा विगत दो वर्षों में नये क्रय किये गये वाहनों जिन्हे इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर परमिट स्वीकृत किया गया हो, से संबंधित सूची निम्न प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय :-

क्र० सं०	परमिट स्वीकृति की तिथि	इंजन एवं चेचिस नंबर	निबंधन संख्या	परमिट संख्या

इसके अतिरिक्त स्वीकृति के पश्चात् जिन्होंने स्थायी निबंधन संख्या उपलब्ध नहीं करायी है उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-31/1/2020

ज्ञापांक-

568

प्रतिलिपि:-आई०टी० मैनेजर, परिवहन विभाग(मुख्यालय), बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक:-04/STA-(विविध)-11/2019

368

पटना, दिनांक-31/11/2020

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार।

विषय :- इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर स्वीकृत परमितों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि नये क्रय किये गये वाहन का इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर परमित प्राधिकार की बैठक में स्वीकृत किये जाते हैं। अतः अनुरोध है कि आपके प्राधिकार द्वारा विगत दो वर्षों में नये क्रय किये गये वाहनों जिन्हे इंजन एवं चेचिस नंबर के आधार पर परमित स्वीकृत किया गया हो, से संबंधित सूची निम्न प्रपत्र में पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जाय :-

क्र० सं०	परमित स्वीकृति की तिथि	इंजन एवं चेचिस नंबर	निबंधन संख्या	परमित संख्या

इसके अतिरिक्त स्वीकृति के पश्चात् जिन्होंने स्थायी निबंधन संख्या उपलब्ध नहीं करायी है उसके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

कृपया इसे शीर्ष प्राथमिकता की जाय।

विश्वासभाजन,


उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।